भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग

विकास आयुक्त का कार्यालय

नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र

नोएडा दादरी रोड, फेस-II, नोएडा-201305, जिला गौतम बुद्ध नगर ((उत्तर प्रदेश)

फा.सं. 12/01/2019-प्रोज/ दिनांक: ..../10/2019

सेवा में,

1. मुख्य कार्यपालक अधिकारी, न्यू ओखला औद्योगिक विकास प्राधिकरण, मुख्य प्रशासनिक भवन, सेक्टर-6, नोएडा।
2. अतिरिक्त महानिदेशक, विदेश व्यापार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, 'ए' विंग, इंद्रप्रस्थ भवन, आई पी एस्टेट, नयी दिल्ली।
3. प्रधान आयकर आयुक्त, आयकर भवन, प्लॉट सं - ए2डी, सेक्टर 24, नोएडा।
4. आयुक्त, सीमा शुल्क, नोएडा सीमा शुल्क आयुक्तालय, इनलैंड कंटेनर डिपो, तिलपता, दादरी, गौतम बुद्ध नगर, उत्तर प्रदेश - 201306
5. उप सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार, उद्योग भवन, नयी दिल्ली - 110001।
6. उप सचिव (आई-एफ-1), बैंकिंग प्रभाग, आर्थिक मामलों का विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, तृतीय तल, जीवन दीप बिल्डिंग संसद मार्ग, नयी दिल्ली।
7. महाप्रबंधक, जिला उद्योग केंद्र, कलेक्ट्रेट के पास, सूरजपुर, ग्रेटर नोएडा।

विषय: दिनांक 04/11/2019 को पूर्वाहन 11:30 बजे आयोजित नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की यूनिट अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त - एतद संबंधी।

महोदय,

मुझे उपरोक्त विषय का सन्दर्भ लेने और डा० एल बी सिंघल, विकास आयुक्त, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की अध्यक्षता मे दिनांक 04/11/2019 को पूर्वाहन 11.30 बजे सम्मेलन हॉल, प्रशासनिक भवन, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, नोएडा मे आयोजित नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र की यूनिट अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त अग्रेषित करने का निर्देश हुआ है।

भवदीय,

संलग्नक : उपरोक्त

(नितिन गुप्ता)

उप विकास आयुक्त

प्रतिलिपि:

1. विशेष कार्याधिकारी - विकास आयुक्त के सूचनार्थ।

2. वैयक्तिक सहायक - संयुक्त विकास आयुक्त के सूचनार्थ।

3. निर्दिष्ट अधिकारी, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए।

4. सचिव, नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरण - सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही के लिए।

5. सहायक विकास आयुक्त (एडमिन) - सूचनार्थ एवं कार्यवृत्त के हिंदी अनुवाद के लिए।

उप विकास आयुक्त

<u>नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र</u>

<u>(दिनांक 04/11/2019 को आयोजित अनुमोदन समिति की बैठक का कार्यवृत्त)</u>

<u>डॉ० एल० बी० सिंघल, विकास आयुक्त, नोएडा एसईज़ेड की अध्यक्षता में नोएडा एसईज़ेड के कांफ्रेंस हॉल में दिनांक 04/11/2019 को सुबह 11.30 बजे आयोजित नोएडा एसईज़ेड की अनुमोदन समिति का कार्यवृत्त|</u>

अनुमोदन समिति के निम्नलिखित सदस्य बैठक के दौरान उपस्थित थे:-

1) श्री एस.एस. शुक्ला, संयुक्त विकास आयुक्त, नोएडा एसईज़ेड।
2) श्री राजेश शर्मा, सहायक आयुक्त, सीमा शुल्क, नोएडा आयुक्तालय
3) श्री चमन लाल, सहायक एफटीडीओ, अतिरिक्त डीजीएफटी का कार्यालय, सीएलए, नई दिल्ली
4) श्रीमती संध्या मौर्य,आयकर अधिकारी, आयकर विभाग, नोएडा।

2. इसके अतिरिक्त, बैठक के दौरान श्री (i) मोहम्मद सालिक परवेज, विशिष्ट अधिकारी, नोएडा एसईज़ेड, (ii) नितिन गुप्ता, उप विकास आयुक्त, नोएडा एसईज़ेड, (iii) प्रमोद कुमार, सहायक विकास आयुक्त, नोएडा एसईज़ेड, (iv) अरुण सिंह परिहार, सहायक, नोएडा एसईज़ेड, एवं (v) एस.के.भारती, जेई, यूपीपीसीएल,नोएडा भी अनुमोदन समिति की सहायता के लिए उपस्थित थे।

3. शुरुआत में, सहायक आयुक्त, नोएडा एसईज़ेड ने प्रतिभागियों का स्वागत किया। संक्षिप्त परिचय के बाद, कार्यसूची में शामिल प्रत्येक विषय को एक-एक करके विचार-विमर्श के लिए लिया गया। विस्तृत विचार-विमर्श तथा इकाइयों के आवेदकों / प्रतिनिधियों के साथ बातचीत के बाद, निम्नलिखित निर्णय लिए गए: -

<u>(i) 09/10/2019 को आयोजित अनुमोदन समिति की अंतिम बैठक के कार्यवृत का सत्यापन</u>

यह बताया गया कि 09/10/2019 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णयों के विरुद्ध मै. निटप्रो इंटरनेशनल द्वारा हाथ से बुने हुए धागे की हैंड डाईंग में आईटीसीएचएस 51071020, 51072090 एवं 52062200 को शामिल करने संबंधी प्रतिनिधित्व के अतिरिक्त कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई, जिसे अनुमोदन समिति द्वारा 09.10.2019 को आयोजित इसकी बैठक में इसके अधिकृत कार्यकलाप में शामिल करने की स्वीकृति दी गयी। समिति ने उक्त बैठक के कार्यवृत्त के सत्यापन के साथ मै. निटप्रो इंटरनेशनल को 29.10.2019 को जारी किये गए अनुमति पत्र में शामिल अतिरिक्त आईटीसीएचएस कोड को सत्यापित किया।

(ii) कार्यसूची में शामिल प्रस्तावों पर विषयवार निर्णय:

1. **लाइवसेल्समैन - नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में नयी यूनिट लगाने हेतु प्रस्ताव।**

1.1. अनुमोदन समिति को इस बात से अवगत करवाया गया कि मै. लाइवसेल्समैन ने विदेशी ग्राहकों की सुविधा तथा हमारे देश के लिए विदेशी मुद्रा का उत्पादन करने के लिए बिज़नेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग स्थापित करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। यह मामला अनुमोदन समिति की अंतिम बैठक के समक्ष रखा गया, हालांकि आवेदक ने ईमेल के माध्यम से सूचित किया कि क्योंकि मालिक व्यापार के कारणों से बाहर है, अतः वे बैठक में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। तदनुसार, अनुमोदन समिति ने अपनी अगली बैठक के लिए प्रस्ताव को आस्थगित कर दिया।

1.2. अनुमोदन समिति को सूचित किया गया कि आवेदक ने 02.11.2019 की ईमेल के माध्यम से जानकारी दी कि यूनिट के मालिक ने अपना इरादा बदल दिया एवं वह नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में यूनिट स्थापित नहीं करना चाहता। इसलिए यूनिट ने उनका आवेदन नज़रअंदाज़ करने का अनुरोध किया।

1.3. अनुमोदन समिति ने आवेदक से प्राप्त अनुरोध पर गौर किया एवं आवेदक के अनुरोध अनुसार आवेदन को वापस लेने की स्वीकृति दी।

2. फ्यूचरिस्टिक एलईडी प्राइवेट लिमिटेड - नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में नयी इकाई लगाने हेतु प्रस्ताव।

2.1. अनुमोदन समिति को इस बात से अवगत करवाया गया कि मै. फ्यूचरिस्टिक एलईडी प्राइवेट लिमिटेड ने पांच वर्ष की अवधि के दौरान 3358 लाख के अनुमानित निर्यात एवं 2235 लाख की एनएफडी आय तथा 1123 लाख के प्रस्तावित निवेश तथा 160 लाख के क्रमशः आयातित एवं स्वदेशी संयंत्र तथा मशीनरी/पूंजीगत वस्तुओं के साथ नोएडा एसईज़ेड में "कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं डेटाबेस जानकारी, इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी डिज़ाइन एवं विकास सेवाएं, होस्टिंग एवं इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी (आईटी) संरचना प्रावधान सेवाएं, अन्य आईटी सेवाओं के प्रयोग के अधिकार के लिए लाइसेंसिंग सेवा" के लिए नयी यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव दिया।

2.2. यह बताया गया कि अनुमोदन समिति ने 09/10/2019 को आयोजित अपनी बैठक में नोएडा एसईज़ेड में एक नयी यूनिट स्थापित करने के मै. फ्यूचरिस्टिक एलईडी प्राइवेट लिमिटेड के प्रस्ताव पर विचार किया एवं इसे अपनी अगली बैठक के लिए आस्थगित करते हुए आवेदक यूनिट के प्रतिनिधि को अपने प्रमुख विषयों में प्रस्तावित सेवा गतिविधियों को शामिल करने के बाद संस्था के संशोधित बहिर्नियम एवं अंतर्नियम को प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। अनुमोदन समिति ने आवेदक द्वारा प्राप्त उत्तर की जांच करने एवं एवं बदलाव के लिए प्रश्नों, यदि हों तो, के बारे में जानकारी देने के भी निर्देश दिए।

2.3. तदनुसार, आवेदक द्वारा 01/10/2019की तिथि की जमा की गयी प्रतिक्रिया की 09/10/2019 को आयोजित अनुमोदन समिति के निर्णय के अनुसार जांच की गयी एवं आवेदक ने 23/10/2019 की तिथि के इस कार्यालय पत्र के माध्यम से निम्नलिखित कमियों को सुधारने का अनुरोध किया:

(i) क्योंकि प्रमोटरों को एसईज़ेड योजना के अंतर्गत एक और एलओए जारी किया गया, इसलिए इसे फॉर्म-एफ के क्रमांक XII(ii) में उल्लिखित करना आवश्यक है।

(ii) संशोधित एवं सुधार किया हुआ फॉर्म-एफ 26/09/2019 की तिथि के इस कार्यालय पत्र एवं 01/10/2019 की तिथि की उनकी प्रतिक्रिया के संदर्भ में प्रस्तुत किया जाना आवश्यक है।

(iii) इसके प्रमुख विषयों में प्रस्तावित सेवा गतिविधियों को शामिल करने के बाद संस्था के संशोधित बहिर्नियम एवं अंतर्नियम की प्रति नहीं दी गयी।

(iv) पर्यावरण एवं प्रदूषण नियंत्रण नियमों के अनुपालन के लिए उपक्रम एसईज़ेड प्रावधान की आवश्यकता के अनुसार देना आवश्यक है।

(v) आपके द्वारा प्रस्तुत आईएनसी-22 ए की प्रति एक भिन्न पंजीकृत कार्यालय पता दर्शाती है। इसलिए फॉर्म-एफ में आपके द्वारा दर्शित पंजीकृत कार्यालय पते के समर्थन में आईएनसी-22 की प्रति आवश्यक है।

2.4. आवेदक ने 24/10/2019 की तिथि के अपने पत्र के माध्यम से इसके प्रमुख विषयों में प्रस्तावित सेवा गतिविधियों को शामिल करने के बाद संशोधित संस्था बहिर्नियम एवं अंतर्नियम के साथ आरओसी द्वारा जारी किये गए ऑब्जेक्ट क्लॉज़ में बदलाव का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया।

2.5. श्री हेमेंद्र भारद्वाज, श्री मनीष अग्रवाल एवं श्रीमती नेहा गैरोला, कंपनी के प्रतिनिधि अनुमोदन समिति के समक्ष प्रस्तुत हुए एवं बताया कि उन्होंने अब सभी आवश्यक दस्तावेज़ जमा कर दिए एवं आवश्यक संशोधन करने के बाद परिवर्तित ऑनलाइन फॉर्म-एफ भी प्रस्तुत कर दिया।

2.6. अनुमोदन समिति को इस बात से अवगत करवाया गया कि बाकि प्रश्नों से संबंधित यूनिट की प्रतिक्रिया 01/11/2019 को प्राप्त हुई एवं इसकी जांच की जा रही है।

2.7. सम्यक विचार-विमर्श के बाद अनुमोदन समिति ने मै. फ्यूचरिस्टिक एलईडी प्राइवेट लिमिटेड के "कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एवं डेटाबेस जानकारी, इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी डिज़ाइन एवं विकास सेवाएं, होस्टिंग एवं इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी (आईटी) संरचना प्रावधान सेवाएं, अन्य आईटी सेवाओं के प्रयोग के अधिकार के लिए लाइसेंसिंग सेवा" के लिए नयी यूनिट स्थापित करने के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया जो उनके आवेदन में पाई गयी कमियों में सुधार के अधीन है।

3. विषय: मै. रिट्ज़ी हार्डवेयर प्राइवेट लिमिटेड - नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र में नयी यूनिट लगाने हेतु प्रस्ताव।

3.1. अनुमोदन समिति को इस बात से अवगत करवाया गया कि मै. रिट्ज़ी हार्डवेयर प्राइवेट लिमिटेड ने निम्नलिखित के "निर्माण एवं निर्यात" के लिए नोएडा एसईज़ेड में नयी यूनिट स्थापित करने का प्रस्ताव दिया:

(i) बिल्डर हार्डवेयर एवं इंजीनियरिंग सामग्री - प्लास्टिक बिल्डर हार्डवेयर (39259090) (20000000 पीस प्रति वर्ष)

(ii) बिल्डर हार्डवेयर एवं इंजीनियरिंग सामग्री - प्लास्टिक बिन (39269099) (100000 पीस प्रति वर्ष)

(iii) बिल्डर हार्डवेयर एवं इंजीनियरिंग सामग्री - गैल्वनीकरण क्लैम्प के रूप में जल संचयन प्रणाली फिटिंग, शीट, गटर हुक (73079910) (4000000 पीस प्रति वर्ष)

(iv) बिल्डर हार्डवेयर एवं इंजीनियरिंग सामग्री - जी.आई जंक्शन बॉक्स (73089090) (200000 पीस प्रति वर्ष)

(v) बिल्डर हार्डवेयर एवं इंजीनियरिंग सामग्री - कॉपर फिटिंग क्लैम्प के रूप में जल संचयन प्रणाली फिटिंग, शीट, गटर हुक आदि (74122090 (125000 पीस प्रति वर्ष)

(vi) बिल्डर हार्डवेयर एवं इंजीनियरिंग सामग्री - आयरन एवं एसएस कब्ज़े (83021010) (3000000 पीस प्रति वर्ष)

(vii) बिल्डर हार्डवेयर एवं इंजीनियरिंग सामग्री - पीतल के कब्ज़े (83021020) (25000 पीस प्रति वर्ष)

(viii) बिल्डर हार्डवेयर एवं इंजीनियरिंग सामग्री - दरवाज़ों एवं खिड़कियों की फिटिंग (83024110) (5000000 पीस प्रति वर्ष)

(ix) बिल्डर हार्डवेयर एवं इंजीनियरिंग सामग्री - दरवाज़ों एवं खिड़कियों की अन्य फिटिंग (83024200) (4000000 पीस प्रति वर्ष)

(x) बिल्डर हार्डवेयर एवं इंजीनियरिंग सामग्री - फर्नीचर फिटिंग (83024900) (4000000 पीस प्रति वर्ष)"

3.2. यह बताया गया कि आवेदक ने पांच वर्ष की अवधि के दौरान 2200 लाख के निर्यात एवं 2180 लाख की एनएफई आय का अनुमान लगाया तथा स्वदेशी संयंत्र/पूंजीगत वस्तुओं में 350लाख के निवेश का प्रस्ताव दिया।

3.3. श्री हर्षवर्धन शर्मा एवं अरुण कुमार, कंपनी के निदेशक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि भारतीय हार्डवेयर उद्योग में सामग्री एवं मज़दूर की लागत कम होने के कारण अपार संभावनाएं हैं। कंपनी की प्रमुख व्यववसायिक रणनीति प्रत्यक्ष ग्राहक मॉडल,प्रासंगिक तकनीकों एवं सोल्यूशंस तथा अत्यंत कार्यकुशल उत्पादन एवं लॉजिस्टिक्स के इर्दगिर्द निर्मित है। उन्होंने आगे कहा कि वे यूनाइटेड स्टेटस ऑफ़ अमेरिका एवं यूरोपियन बाज़ारों से काफी अच्छी संख्या में ऑर्डर्स की आशा कर रहे हैं।

3.4. कंपनी के प्रतिनिधि ने आगे बताया कि उत्पादन प्रक्रिया के अंतर्गत कच्चे माल की कटाई एवं न्यूमैटिक पावर प्रेस के माध्यम से डिज़ाइनर हैंडल, कब्ज़ों, नॉब एवं अन्य फिटिंग में मोल्डिंग शामिल है।

3.5. उन्होंने आगे उत्पादन प्रक्रिया के एक भाग अर्थात डीटीए से "इलेक्ट्रोप्लेटिंग, पाउडर कोटिंग, फॉर्जिंग, कास्टिंग, मशीनिंग, टैपिंग, वेल्डिंग, बफिंग, पॉलिशिंग" के लिए उप-ठेकेदारी की आवश्यकता के बारे में बताया।

3.6. अनुमोदन समिति को इस बात से अवगत करवाया गया कि आवेदक ने कच्चे माल की सूची में "प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स/स्क्रैप" की आवश्यकता दर्शायी। श्री शर्मा ने स्पष्ट किया कि ग्रैन्यूल्स/स्क्रैप उनके द्वारा प्रस्तावित कुछ प्लास्टिक उत्पादों के लिए प्रयुक्त होंगे। आवेदक को यह बताया गया कि एसईज़ेड में प्लास्टिक स्क्रैप का आयात मान्य नहीं है।

3.7. यह भी देखा गया कि आवेदक ने 1000 स्क्वायर मीटर की भूमि एवं 600 स्क्वायर मीटर का निर्मित क्षेत्र दर्शाया। श्री शर्मा ने बताया कि वे प्रस्तावित यूनिट के लिए एक प्लॉट/बिल्डिंग खरीदने की एमएसटीसी ऑनलाइन नीलामी प्रक्रिया चुनेंगे।

3.8. श्री शर्मा को बताया गया कि प्रस्तुत आईटीआर के अनुसार श्री अरुण कुमार, निदेशक मै. भोली हार्डवेयर प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट संख्या 170, नोएडा एसईज़ेड के कर्मचारी हैं एवं वे अपने सभी आईटीआर में अपना पता प्लॉट संख्या 170, नोएडा एसईज़ेड दर्शाते रहे हैं। श्री शर्मा ने बताया कि आईटीआर फ़ाइल करने के दौरान श्री अरुण कुमार का नोएडा में कोई स्थायी पता नहीं था, इसलिए श्री कुमार ने अपने आईटीआर में प्लॉट संख्या 170 का प्रयोग किया। उन्हें इस तथ्य का ज्ञान नहीं था कि औद्योगिक पता आईटीआर में दिखाया नहीं जा सकता। उन्होंने इसे सुधारने का आश्वासन दिया।

3.9. अनुमोदन समिति को इस बात से अवगत करवाया गया कि आवेदन में मिम्नलिखित कमियां पायी गयी हैं जिनमें आवेदक को 24/10/2019 के इस कार्यालय पत्र के माध्यम से आवश्यक सुधार करने को कहा गया:-

i) फॉर्म एफ के क्रमांक X(I) (ii) में आवेदक ने कुल इक्विटी 2 लाख दर्शाई है (गैर प्रत्यावर्तनीय एनआरआई कंपनी/व्यक्ति होल्डिंग तथा आवासी होल्डिंग के लिए 1-1 लाख रुपये)। परंतु क्रमांक X(I) (i) में कुल पेड अप कैपिटल केवल 1 लाख रुपये ही दर्शायी गयी है। इसके अतिरिक्त, मौजूदा इक्विटी विवरण सही पंक्ति में उल्लिखित नहीं है।

ii) प्रमोटरों के पासपोर्ट की प्रतियां नहीं दी गयीं।

iii) आवेदक ने फॉर्म एफ के क्रमांक XII में 'लागू नहीं' उल्लिखित किया, जिसमें 'हों' अथवा 'नहीं' लिखना होता है। इसके अतिरिक्त, क्योंकि कंपनी के प्रमोटरों के नाम नोएडा एसईज़ेड में पहले से ही एक और एलओए जारी किया गया है, उक्त यूनिट के विवरण भी फॉर्म-एफ के क्रमांक XII(ii) में उल्लिखित करने की आवश्यकता है।

iv) आवेदक ने कच्चे माल की सूची में "प्लास्टिक ग्रैन्यूल्स/स्क्रैप" की आवश्यकता दर्शायी है, जिसका स्पष्टीकरण आवश्यक है।

v) लोन/वित्तीय सहायता के समर्थन में बैंक/वित्तीय संस्थाओं से प्राप्त स्वीकृति पत्र की प्रति नहीं दी गयी।

vi) पंजीकृत कार्यालय का संपूर्ण पता फॉर्म-एफ में दिया जाना आवश्यक है।

vii) आवेदक ने 1000 स्क्वायर मीटर की भूमि एवं 600 स्क्वायर मीटर के निर्मित क्षेत्र की आवश्यकता दर्शाई। इस संबंध में एक स्पष्टीकरण देना आवश्यक है।

3.10. सम्यक विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने मै. रिट्ज़ी हार्डवेयर के "बिल्डर हार्डवेयर एवं इंजीनियरिंग सामग्री - प्लास्टिक बिल्डर हार्डवेयर (39259090) (20000000 पीस प्रति वर्ष), बिल्डर हार्डवेयर एवं इंजीनियरिंग सामग्री - प्लास्टिक बिन (39269099) (100000 पीस प्रति वर्ष), बिल्डर हार्डवेयर एवं इंजीनियरिंग सामग्री - गैल्वनीकरण क्लैम्प के रूप में जल संचयन प्रणाली फिटिंग, शीट, गटर हुक (73079910) (4000000 पीस प्रति वर्ष), बिल्डर हार्डवेयर एवं इंजीनियरिंग सामग्री - जी.आई जंक्शन बॉक्स (73089090) (200000 पीस प्रति वर्ष), बिल्डर हार्डवेयर एवं इंजीनियरिंग सामग्री - कॉपर फिटिंग क्लैम्प के रूप में जल संचयन प्रणाली फिटिंग, शीट, गटर हुक आदि (74122090 (125000 पीस प्रति वर्ष), बिल्डर हार्डवेयर एवं इंजीनियरिंग सामग्री - आयरन एवं एसएस कब्ज़े (83021010) (3000000 पीस प्रति वर्ष), बिल्डर हार्डवेयर एवं इंजीनियरिंग सामग्री - पीतल के कब्ज़े (83021020) (25000 पीस प्रति वर्ष), बिल्डर हार्डवेयर एवं इंजीनियरिंग सामग्री - दरवाज़ों एवं खिड़कियों की फिटिंग (83024110) (5000000 पीस प्रति वर्ष), बिल्डर हार्डवेयर एवं इंजीनियरिंग सामग्री - दरवाज़ों एवं खिड़कियों की अन्य फिटिंग (83024200) (4000000 पीस प्रति वर्ष), बिल्डर हार्डवेयर एवं इंजीनियरिंग सामग्री - फर्नीचर फिटिंग (83024900) (4000000 पीस प्रति वर्ष)" के निर्माण एवं निर्यात के लिए नोएडा एसईज़ेड में नयी यूनिट की स्थापना के प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया, जो इस शर्त के अधीन है कि प्लास्टिक स्क्रैप मान्य नहीं होगा एवं यूनिट अपने आवेदन में उल्लिखित लागू पर्यावरण अनुकूलता एवं कमियों में सुधार सुनिश्चित करे।

4. विषय: मै. रॉमसन्स इंटरनेशनल (यूनिट-II) - एलओए की वैधता के नवीनीकरण एवं क्षमता में बढ़ोत्तरी हेतु प्रस्ताव - पंजीकृत।

4.1. यह बताया गया कि मै. रॉमसन्स इंटरनेशनल (यूनिट-II) को मेडिकल, सर्जिकल, डेंटल या पशु-चिकित्सा विज्ञान (फेंकने योग्य मेडिकल उपकरण) (क्षमता: 100000000 पीस प्रति वर्ष) में प्रयुक्त औज़ारों एवं उपकरणों के निर्माण एवं मेडिकल, सर्जिकल, डेंटल या पशु-चिकित्सा कारणों (फाइल की सूची के अनुसार) से प्रयुक्त 110 (45+41+12+12) औज़ारों/उपकरणों की ट्रेडिंग इस शर्त के अधीन कि ट्रेडिंग केवल निर्यात के एफओबी मूल्य के 10% तक ही मान्य की जाएगी] के लिए 05/10/2006 की तिथि का एलओए जारी किया गया। यूनिट ने अपना निर्यात उत्पादन प्रभावी रूप से 01/12/2009 से शुरू किया एवं इसकी एलओए 30.11.2019 तक वैध है।

4.2. आगे यह बताया गया कि यूनिट ने पांच वर्ष के तीसरे ब्लॉक के लिए अपने एलओए के नवीनीकरण एवं उत्पादन क्षमता में 100000000 पीस प्रति वर्ष से 200000000 पीस प्रति वर्ष की बढ़ोत्तरी का आवेदन प्रस्तुत किया।

4.3. समिति को यह बताया गया कि 76.79 लाख की राशि 31.03.2019 को वसूली के लिए लंबित है।

4.4. श्री मुकेश अग्रवाल, यूनिट के महाप्रबंधक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए एवं बताया कि 6 लाख रुपये की राशि के अलावा, जो लंबित है क्योंकि श्रीलंकाई सरकार ने अनुबंध के अनुसार 10% रखा है, पूर्ण राशि की वसूली हो चुकी है तथा उक्त बकाया राशि की वसूली जल्दी ही हो जाएगी। उन्होंने यह भी बताया कि उन्होंने आरबीआई के पास 2016-17 से 2018-19 के दौरान की गयी बकाया निर्यात आमदनी की वसूली करने के अतिरिक्त समय प्रदान करने का आवेदन किया।

4.5. अनुमोदन समिति को यह बताया गया कि आवेदन में निम्नलिखित कमियां देखी गयी हैं:-

i) समिति को यह बताया गया कि 76.79 लाख की राशि 31.03.2019 को वसूली के लिए लंबित है।

ii) यह देखा गया कि पिछले पांच वर्षों के दौरान निर्माण एवं ट्रेडिंग प्रदर्शन के लिए दी गयी राशि की तुलना में एपीआर के आंकड़ों में बदलाव है। इसलिए इसका स्पष्टीकरण होना आवश्यक है एवं पिछले पांच वर्षों के निर्माण एवं ट्रेडिंग का ब्रेक-अप विवरण देना आवश्यक है जो सीए से सत्यापित हों एवं एपीआर के आंकड़ों के अनुरूप हों।

iii) 18/10/2019 की तिथि के इसके पत्र के माध्यम से प्रस्तुत किये गए फोरेक्स व्यय के ब्रेक-अप के अनुसार, यह देखा गया कि यूनिट ने आयातित पूंजीगत वस्तुओं एवं कच्चे माल आदि के मूल्य फॉर्म-एफ-1 में गलत उल्लिखित किये हैं। यूनिट को आयातित पूंजीगत वस्तुओं/कच्चे माल के अनुमानित मूल्य में आवश्यक सुधार करने के लिए ऑनलाइन आवेदन वापस कर दिया गया। यूनिट की प्रतिक्रिया प्रतीक्षित है।

4.6. सम्यक विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने मै. रॉमसन्स इंटरनेशनल के एलओए की वैधता अगले पांच वर्षों अर्थात 30.11.2024 तक नवीनीकृत करने का निर्णय लिया तथा परिवर्तित उत्पादन क्षमता उनके आवेदन में देखी गयी कमियों में सुधार के अधीन हैं।

4.7. अनुमोदन समिति ने यूनिट को निर्यात आमदनी की वसूली/विचाराधीनता की नवीनतम स्थिति प्रस्तुत करने का भी निर्देश दिया।

5. विषय: मै. तैबा इंटरनेशनल - एलओए की वैधता के नवीनीकरण, उत्पादन क्षमता में वृद्धि एवं अधिकृत परिचालनों में संशोधन हेतु प्रस्ताव - पंजीकृत।

5.1. अनुमोदन समिति को इस बात से अवगत करवाया गया कि मै. तैबा इंटरनेशनल को सादे/रंगीन पत्थर जड़े हुए हाथ /मशीन से बने सोने/प्लैटिनम/चांदी के आभूषण (उत्पादन क्षमता - 300 किलो प्रति वर्ष) के निर्माण एवं निर्यात के लिए 31.12.2008 की तिथि का एलओए जारी किया गया। यूनिट ने प्रभावी रूप से 16.11.2009से अपना निर्यात उत्पादन शुरू किया। पांच वर्षों का दूसरा ब्लॉक 15.11.2019 तक वैध है।

5.2. अनुमोदन समिति को यह बताया गया कि यूनिट ने पांच वर्षों के तीसरे ब्लॉक के लिए एलओए के नवीनीकरण के लिए आवेदन किया। यूनिट ने निम्नानुसार पांच वर्षों के पिछले ब्लॉक के दौरान उनके द्वारा प्राप्त की गयी मूल्य वृद्धि का विवरण प्रस्तुत किया:

		मूल्य लाख रुपये में				
वर्ष	**:**	**निर्यात**	**प्रयुक्त इनपुट (आयातित+स्वदेशी)**	**मूल्य वृद्धि मूल्य**	**आवश्यक मूल्य वृद्धि**	**प्राप्त मूल्य वृद्धि**
2014-15	:	178.91	195.25	-16.34	3%	-8.37%
2015-16	:	20534.72	19887.67	647.05	3.5%	3.25%
2016-17	:	23557.68	23551.11	6.57	3.5%	0.03%
2017-18	:	23616.68	24033.65	-416.97	3.5%	-1.73%
2018-19	:	38972.66	38204.72	767.94	3.5%	2.01%

अनुमोदन समिति को इस बात से अवगत करवाया गया कि यूनिट ने इस कार्यालय को बताया कि वित्तीय वर्ष 2014-15 एवं 2017-18 के दौरान उनका एनएफई इस कारण नकारात्मक था क्योंकि आयात निर्यात से अधिक एपीआर में भी दर्शित हुए हैं। परंतु पांच वर्ष की संचयी एनएफई निर्धारित नियमों के अनुसार है। यह देखा गया कि मूल्य वृद्धि प्राप्त करने में कमी आयी है।

5.3. अधिकृत कार्यकलाप:-

मौजूदा	**नवीनीकृत अवधि के लिए प्रस्तावित**
सादे/रंगीन पत्थर जड़े हुए हाथ /मशीन से बने सोने/प्लैटिनम/चांदी के आभूषण (उत्पादन क्षमता - 300 किलो प्रति वर्ष) का निर्माण एवं निर्यात	1. सादे/रंगीन पत्थर जड़े हुए हाथ/मशीन से बने हुए सोने के आभूषण। (71131910, 71131920, 71131930, 71131940) (उत्पादन क्षमता - 1390 किलो प्रति वर्ष) 2. मरम्मत के लिए रद्द या क्षतिग्रस्त सादे या जड़ित आभूषण का आयात (71131910) (उत्पादन क्षमता - 10 किलो प्रति वर्ष)

5.4. अगले ब्लॉक के लिए प्रस्तावित फॉरेक्स बैलेंस शीट (लाख रूपए में):

क्रमांक	मद	पहला	दूसरा	तीसरा	चौथा	पांचवां	कुल
1.	पहले पांच वर्षों के निर्यात का पोत पर्यन्त मूल्य	49985.16	50339.52	50802.26	51510.97	51973.71	254611.62
2.	पहले पांच वर्षों के लिए विदेशी मुद्रा बहिर्गमन	47899.71	48221.90	48629.82	49314.20	49722.11	243787.74
3.	शुद्ध विदेशी मुद्रा उपार्जन पहले पांच वर्षों (1-2) के लिए	2085.45	2117.62	2172.44	2196.77	2251.60	10823.88

5.5. अनुमोदन समिति को इस बात से अवगत करवाया गया कि यूनिट ने अपने एलओए नवीनीकरण आवेदन में निम्नलिखित प्रस्तुति की है:-

i) यूनिट ने बताया कि 05/09/2013 की तिथि के पत्र के माध्यम से अधिकृत कार्यकलापन में संशोधन के अनुसार उन्होंने वस्तुओं या पदकों का निर्यात नहीं किया एवं वस्तुओं तथा पदकों का निर्यात होगा भी नहीं।

ii) यूनिट ने यह भी बताया कि वे चांदी या प्लैटिनम के आभूषणों का निर्यात करना नहीं चाहते और इसलिए उन्होंने इन्हें फॉर्म-एफ1 में प्रस्तावित अधिकृत कार्यकलापों के लिए हटा दिया दिया।

iii) यूनिट ने आगे बताया कि पांच वर्ष के पिछले ब्लॉक के दौरान उन्होंने केवल सोने के सादे आभूषणों का ही निर्यात किया। उक्त अवधि के दौरान जड़ित सोने के या चांदी/प्लैटिनम के आभूषणों का निर्यात नहीं हुआ। इसके अतिरिक्त, उन्होंने विदेशी प्रदायक को किसी ब्याज का भुगतान नहीं किया।

5.6. अनुमोदन समिति को इस बात से अवगत करवाया गया कि 19/09/2018 की तिथि के एसईज़ेड संशोधन नियमावली, 2018 के माध्यम से संशोधित एसईज़ेड नियमावली, 2006 के नियम 18 (3) (बी) के अनुसार,

"रत्नों एवं आभूषणों के लिए, न्यूनतम मूल्य वृद्धि आवश्यकता प्रचलित विदेशी व्यापार नीति या कार्यपद्दति पुस्तिका, जो समय-समय पर संशोधित हो, में स्पष्ट की जाए।";

अतः, यूनिट के लिए सोने के सादे आभूषण के लिए 3 एवं 3.5% की मूल्य वृद्धि प्राप्त करना आवश्यक था। परन्तु, उपरोक्त विवरणों के अनुसार, मूल्य वृद्धि प्राप्ति में कमी है।

5.7. श्री शेख समीम, कंपनी के मालिक एवं श्री रूपक झा समिति के समक्ष उपस्थित हुए। वे वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान मूल्य वृद्धि में कमी के कारणों की व्याख्या नहीं कर पाए। उन्होंने उचित स्पष्टीकरण के लिए थोड़े समय का अनुरोध किया।

5.8. अनुमोदन समिति ने देखा कि अनुमोदन पत्र 15.11.2019 तक ही वैध है, इसलिए उन्होंने इसे मौजूदा अधिकृत कार्यकलापों के अनुसार 2 महीनों के अतिरिक्त समय के लिए नवीनीकृत करने का निर्णय लिया। अनुमोदन समिति ने यूनिट को मूल्य वृद्धि में कमी का उचित स्पष्टीकरण देने के साथ ही मूल्य वृद्धि के वर्षवार विवरण सनदी लेखाकार द्वारा पूर्ण रूप से सत्यापित करवाने का भी निर्देश दिया।

5.9. अनुमोदन समिति ने यूनिट से मूल्य वृद्धि में कमी संबंधित प्रतिक्रिया प्राप्त होने पर इस मामले की दोबारा जांच करने एवं इसे बाकी अवधि के लिए एलओए के नवीनीकरण पर विचार करने हेतु अपने समक्ष प्रस्तुत करने तथा मौजूदा अधिकृत कार्यकलाप में बदलाव संबंधी यूनिट के प्रस्ताव पर विचार करने का भी निर्देश दिया।

6. विषय: मै. ग्लोबल डेंट एड्स प्राइवेट लिमिटेड - एलओए में अतिरिक्त अधिकृत कार्यकलापों को शामिल करने हेतु प्रस्ताव।

6.1. अनुमोदन समिति को इस बात से अवगत करवाया गया कि मै. ग्लोबल डेंट एड्स प्राइवेट लिमिटेड को 1. डेन्चर ब्रश, प्लास्टिक ओल्डर, टूथब्रश टूथपेस्ट हैंडल, टूथपेस्ट, घुमावदार वायर ब्रश के उत्पादन 2. टूथ पिक,

ब्रश स्टिक, ब्रश युक्त प्लास्टिक होल्डर, इंटर डेंटल ब्रश, प्लास्टिक माउथ मिरर, धातु के माउथ मिरर, डेंटल पिक एवं स्केलर, पीवीसी पाउच, पॉलिथीन बैग, प्लास्टिक से बने सभी प्रकार के उत्पाद (जैसे प्लास्टिक ट्रे, विभिन्न प्रकार के प्लास्टिक हैंडल, प्लास्टिक क्लिप, प्लास्टिक केस, प्लास्टिक सीरिंज आदि) के निर्माण के लिए 28/12/2005 की तिथि का एलओए जारी किया गया जो इस शर्त के अधीन है कि ये सभी उत्पाद केवल मौखिक देखभाल के लिए हों। यूनिट ने प्रभावी रूप से 01/04/2007 से निर्यात उत्पादन शुरू किया। यूनिट का अनुमोदन पत्र 31.03.2022 तक वैध है।

6.2. यूनिट ने (i) डेन्चर क्लीनिंग पाउडर (आईटीसी एचएस 33061090) एवं डेंटल सीमेंट (आईटीसी एचएस 30064000) के निर्माण एवं निर्यात को संशोधित एनएफई अनुमानों के साथ अपने अधिकृत कार्यकलापों में शामिल करने का प्रस्ताव दिया।

6.3. श्री प्रदीप देबनाथ, कंपनी के महाप्रबंधक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए एवं बताया कि प्रस्तावित उत्पाद केवल डेंटल मौखिक देखभाल से ही संबंधित हैं। उन्होंने आगे बताया कि इन उत्पादों के निर्माण के लिए उन्हें डेंटल सीमेंट, शीशियों, उत्पाद लेबल एवं डेन्चर की सफाई के उत्पादों के लिए कणिकाएं, प्लास्टिक की बोतलें, प्लास्टिक के चम्मच, मोनो कार्टन आदि की आवश्यकता होगी एवं कोई संयंत्र आयातित नहीं होगा बल्कि केवल स्वदेशी संयंत्रहि प्रयुक्त होंगे। यह मशीन स्थानीय बाज़ार से संकलित की एवं खरीदी जाएगी।

6.4. अनुमोदन समिति को इस बात से अवगत करवाया गया कि यूनिट ने स्वदेशी कच्चे माल एवं पूंजीगत वस्तुओं का क्रमशः 17 लाख एवं 37 लाख का अतिरिक्त अनुमान दर्शाया है।

6.5. सम्यक विचार-विमर्श के बाद अनुमोदन समिति ने यूनिट के (i) डेन्चर क्लीनिंग पाउडर (आईटीसी एचएस 33061090) एवं डेंटल सीमेंट (आईटीसी एचएस 30064000) के निर्माण एवं निर्यात को यूनिट के अधिकृत कार्यकलाप में शामिल करने के अनुरोध को अनुमोदित कर दिया। इसके अतिरिक्त, अनुमोदन समिति ने यूनिट द्वारा प्रस्तुत संशोधित एनएफई अनुमानों को भी अनुमोदित कर दिया।

7. विषय: मै. विद्या मंत्रा एडुसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड - इकाई के परिसर एसडीएफ संख्या डी-08 , नोएडा एसईज़ेड में कैफ़ेटेरिया, शिशुसदन एवं जिम्नेज़ियम स्थापित करने हेतु प्रस्ताव।

7.1. अनुमोदन समिति को इस बात से अवगत करवाया गया कि मै. विद्या मंत्रा एडुसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड को "कंप्यूटर सॉफ्टवेयर सेवाएं एवं समर्थकृत सेवाएं, सेवा केंद्र एवं वेबसाइट सेवाएं, कंटेंट विकास या एनीमेशन, मानव संसाधन सेवाएं, कॉल सेंटर, शोध एवं विकास सेवाएं, पेशेवर सेवाएं, चिकित्सकीय प्रतिलिपि,, अस्पताल सेवाएं, अन्य मानव स्वास्थ्य सेवाएं, प्रदाताओं के बिना रेंटल/लीजिंग सेवाएं, ऑडियो-विज़ुअल सेवाएं, बैक-ऑफिस गतिविधियां, रिमोट रखरखाव, डेटा प्रसंस्करण, इंजीनियरिंग एवं डिज़ाइन, ग्राफ़िक इनफार्मेशन प्रणाली सेवाएं, पेरोल, राजस्व लेखांकन, अन्य व्यापार सेवाएं" नामक अधिकृत कार्यकलाप जारी रखने हेतु 08/05/2019 की तिथि का एलओए जारी किया गया। यूनिट का एलओए 07/05/2020 तक वैध है। यूनिट को 619 स्क्वायर मीटर का एसडीएफ संख्या डी-8 आवंटित हुआ है।

7.2. अनुमोदन समिति को इस बात से अवगत करवाया गया कि यूनिट ने 27/08/2019 की तिथि के अपने पत्र के माध्यम से इस कार्यालय को अपने कर्मचारियों के लिए कैफ़ेटेरिया, शिशुसदन तथा जिम्नेज़ियम की सुविधा की अनुमति प्रदान करने का अनुरोध किया एवं कहा कि ऐसी सुविधाओं के निर्माण या संचालन के लिए एसईज़ेड अधिनियम की धारा 7 या धारा 26 के अंतर्गत उपलब्ध कोई छूट, कमी या कोई अन्य उपलब्ध लाभ नहीं लिए जाएंगे। यूनिट ने 17/09/2019 की तिथि के इस कार्यालय पत्र की प्रतिक्रिया में 17/09/2019 की तिथि के ईमेल के माध्यम से निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत की:

(i) क्षेत्र/लेआउट योजना: यह बताया गया कि एसडीएफ संख्या डी-08 का क्षेत्र 619 स्क्वायर मीटर है एवं शिशुसदन, कैफ़ेटेरिया एवं जिम के सभी क्षेत्र मिलकर भी कुल क्षेत्र के 15% से अधिक नहीं होंगे।

(क) शिशुसदन: 10-20 स्क्वायर मीटर (तकरीबन)

(ख) कैफ़ेटेरिया: 15-25 स्क्वायर मीटर (तकरीबन)

(ग) जिमनेज़ियम: 10-20 स्क्वायर मीटर (तकरीबन)

(ii) यह बताया गया कि ये सभी सुविधाएं उनके द्वारा ही संचालित होंगी।

7.3. अनुमोदन समिति को इस बात से अवगत करवाया गया कि एसईज़ेड नियमावली के नियम 11 (5) के परन्तुक के संदर्भ में "विकासकर्ता, अनुमोदन समिति के पूर्व अनुमोदन के साथ, भूमि या निर्मित क्षेत्र पर कैंटीन, सार्वजानिक टेलीफोन बूथ, प्रथम उपचार केंद्र, शिशुसदन तथा ऐसी अन्य सुविधाओं के निर्माण, जो यूनिट के विशिष्ट प्रयोग हेतु आवश्यक हो सकती हैं, के लिए पट्टा दे सकता है।"

7.4. इसके अतिरिक्त, यह बताया गया कि वाणिज्य विभाग ने 11.06.2019 की तिथि के पत्र सं. B-171212018-एसईज़ेड-भाग (1) के माध्यम से निर्देश सं. 95 जारी की है, जिसमें यह बताया गया है कि केवल यूनिट्स के प्रयोग हेतु यूनिट के परिसर में कैफ़ेटेरिया, शिशुसदन, जिम्नेजियम एवं ऐसी ही अन्य सुविधाएं प्रदान करने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों के अधीन है:-

(क) एसईज़ेड नियमावली के नियम 11 (5) के अंतर्गत उल्लिखित सुविधाएं यूनिट द्वारा केवल अपने प्रयोग के लिए निर्मित की जा सकती हैं जो विकासकर्ता से एनओसी प्राप्त करने एवं उपयुक्त सांविधिक प्राधिकारियों, जैसे अग्नि, स्वास्थ्य आदि, से आवश्यक एनओसी/क्लीयरेंस/अनुमोदन प्राप्त करने के अधीन है।

(ख) यूनिट ऐसी सुविधाओं के निर्माण या संचालन के लिए किसी प्रकार की छूट, कमियों, रियायतों या एसईज़ेड अधिनियम की धारा 7 या धारा 26 के अंतर्गत उपलब्ध किसी लाभ के योग्य नहीं होगी।

7.5. अनुमोदन समिति को इस बात से अवगत करवाया गया कि संपदा प्रबंधन खंड, नोएडा एसईज़ेड ने बताया कि एसडीएफ संख्या ड़ी-08, नोएडा एसईज़ेड में पैंट्री के लिए 5.1 स्क्वायर मीटर का क्षेत्र पहले से ही मौजूद है। संपदा प्रबंधन खंड, नोएडा एसईज़ेड ने यूएसी के यूनिट के प्रस्ताव पर विचार एवं अनुमोदन करने की स्थिति में कैफ़ेटेरिया, शिशुसदन एवं जिम्नेज़ियम की स्थापना के लिए एवं डीओसी द्वारा 11/06/2019 की तिथि के निर्देश संख्या 95 के संदर्भ में एनओसी भी बता दी। यूनिट ने लेआउट योजना की एक प्रति प्रदान की।

7.6. श्री जे गुप्ता, कंपनी के निदेशक अनुमोदन समिति के समक्ष उपस्थित हुए एवं प्रस्ताव के बारे में बताया।

7.7. सम्यक विचार-विमर्श के बाद, अनुमोदन समिति ने प्रस्ताव को अनुमोदित कर दिया, जो वैधानिक अनुपालन एवं इस शर्त के अधीन है कि ना ही यूनिट और ना ही इसके विक्रेता ऐसी सुविधाओं के निर्माण संचालन एवं रखरखाव के लिए छूट, कमियों, रियायतों या एसईज़ेड अधिनियम/एसईज़ेड नियमावली के अंतर्गत उपलब्ध किसी अन्य लाभ के योग्य नहीं होंगे। यूनिट उपरोक्त उल्लिखित 11.06.2019 की तिथि के निर्देश सं. 95 के अंतर्गत उपयुक्त सांविधिक प्राधिकारियों से आवश्यक एनओसी/क्लीयरेंस/अनुमोदन जैसे अग्नि, स्वास्थ्य आदि प्राप्त करेगी।